उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0एम0 नं0-33/2020-21

बंदी रविदास एवं अन्य

बनाम्

मटरू पातर वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक

24.11.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्तागण बंदी रविदास, पिता–स्व0 सुकर रविदास वो जितन रविदास, पिता–स्व0 सौदागर रविदास वो मीना देवी, पति–स्व0 लखन दास वो सुनील मंडल, पिता–स्व0 दामोदर मंडल वो महेश मंडल, पिता–स्व0 चमरू मंडल वो महेन्द्र मंडल वो नंद किशोर रविदास, पिता–स्व0 उद्दी रविदास, सभी सा0–परासी, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–65/16–17 आदेश दिनांक–24.01.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–65/16–17 के आदेश दिनांक–24.01.2020 के द्वारा मौजा–परासी जमाबंदी नं0–30 दाग नं0–312 रकवा 00–00–19 धुर एवं दाग नं0–314 रकवा 00–08–13 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–परासी नं0–326 जमाबंदी नं0–30 दाग नं0–312 रकवा 00–00–19 धुर एवं दाग नं0–314 रकवा 00–08–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रोहन पातर वगै0 के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी के पिता एवं दादा ने 1949 ई0 के पूर्व अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों को कुर्फा बंदोवस्ती के द्वारा उक्त जमीन दिया था एवं उसी समय से अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों का मकान बना हुआ था। वर्तमान समय में अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर पक्का मकान बना हुआ है एवं अपीलकर्त्तागण उस पर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–765/रा0 दिनांक–03.05.2018 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का आवासीय मकान बना हुआ है एवं वे लोग उक्त जमीन में बने मकान पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन निम्न न्यायालय ने

आवासीय मकान की जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण की ओर से अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है। अपील आवेदन में दिये गये उल्लेखित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–परासी मौजा नं0–326 जमाबंदी नं0–30 दाग नं0–312 रकवा 00–00–19 धुर एवं दाग नं0–314 रकवा 00–08–13 धुर जमीन गेंजर सर्वे सेटलमेंट में रोशन पातर व बीपत पातर पिता–मदुकी पातर के नाम से दर्ज है। रौशन पातर उत्तरवादी सं0–1 मटरू पातर के दादा है एवं बीपत पातर नावल्द फौत हो गये है। उत्तरवादी सं0–1 का जमीन अपीलकर्त्तागण ने जोर जबरदस्ती घेरने लगे एवं ग्रामीण पंचों का भी बात नहीं माना, तब लाचार होकर उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–65/17 मटरू पातर बनाम् बद्री रविदास वगै0 दाखिल किया था, जिसमें अंचल अधिकारी, गोड्डा से भी जाँच प्रतिवेदन मांगा गया था एवं उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात् दिनांक–24.01.2020 को सभी अपीलकर्त्ता को उपरोक्त वर्णित जमीन से उच्छेद कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का दिनांक–24.01.2020 का आदेश पूर्ण रूप से न्याय की दृष्टि से उचित है। क्योंकि अपीलकर्त्तागण बाहरी व्यक्ति है। उक्त जमाबंदी से उनलोंगो का कोई संबंध नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–परासी जमाबंदी नं0–30 रोहन पातर वो बीपत पातर पे0–मदुकी पातर कौम परगा शाकिन टोला केंदुआटीकर के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन कुर्फा बंदोवस्ती से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपने दावा के समर्थन में उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल संबंधी कोई भी साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया है। उक्त

4

जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–312 रकवा 00–00–19 धुर एवं दाग नं0–314 रकवा 00–08–13 धुर जमीन किस्म क्रमशः मकानमय सहन एवं बाड़ी औवल कह कर पर्चा के कैफियत खाना में दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि अपील वादगत जमीन रैयती जमीन है। जिसका हस्तांतरण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत नहीं किया जा सकता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

DB No – 208
26.11.21

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–65/16–17 के आदेश दिनांक–24.01.2020 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

Seen
24/11/2

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:44:16 +05:30
Location: 192.168.29.8